मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

मार्च-अप्रैल, 2020 सत्र में दिये गये आश्वासन

(मार्च-अप्रैल, 2020 सत्र के स्थगित बैठक दिनांक : 19-03-2020 के आश्वासन)

आयुष विभाग

दिनांक: 19-03-2020

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
79	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.45 (प्रश्न क्रं.901) दि. 19-03-2020 (श्रीमती सुमित्रा देवी कास्डेकर) (बैठक स्थगित – पटलित दिनांक : 21-09-2020)	जिला बुरहानपुर में होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय के भवन निर्माण हेतु इस वित्तीय वर्ष में बजट प्रावधान कराया जाना।	प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।		
80	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.73 (प्रश्न क्रं.1090) दि. 19-03-2020 (श्री राज्यवर्धन सिंह) (बैठक स्थगित – पटलित दिनांक : 21-09-2020)	सीहोर जिले के ग्राम जामोन्याखुर्द स्थित परासर आयुर्वेदिक कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल के नियम विरूद्ध कार्य संचालन किये जाने की जांच तथा जांच निष्कर्ष के आधार पर शीघ्र कार्यवाही की जाना।	जांच प्रक्रियाधीन है जांच पूर्ण होने पर निर्णय लिया जावेगा।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
मार्च-अप्रैल, 2020 सत्र में दिये गये आश्वासन
(मार्च-अप्रैल, 2020 सत्र के स्थगित बैठक दिनांक : 19-03-2020 के आश्वासन)

चिकित्सा शिक्षा विभाग　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　दिनांक: 19-03-2020

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
81	तारांकित प्रश्न सं.7 (प्रश्न क्रं.1280) दि. 19-03-2020 (श्री कुणाल चौधरी) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 21-09-2020)	प्रदेश में शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय खोले जाने हेतु भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की अनुमति प्राप्त कर कार्यवाही की जाना।	नियमानुसार नए कॉलेज खोले जायेंगे।		
82	तारांकित प्रश्न सं.8 (प्रश्न क्रं.1089) दि. 19-03-2020 (श्री राज्यवर्धन सिंह) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 21-09-2020)	प्रदेश में नियम विरूद्ध संचालित नर्सिंग कॉलेजों को प्रतिबंधित करने की कार्यवाही की जाना।	जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।		
83	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.30 (प्रश्न क्रं.585) दि. 19-03-2020 (श्री रामकिशोर कावरे) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 21-09-2020)	भोपाल के वीनस नर्सिंग एण्ड पैरामेडिकल कॉलेज द्वारा की गई अनियमितता की जांच तथा जांच निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही की जाना।	कार्यवाही प्रचलन में है।		
84	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.34 (प्रश्न क्रं.721) दि. 19-03-2020 (श्री यशपाल सिंह सिसौदिया) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 21-09-2020)	प्रदेश में स्वतंत्र फिजोयोथेरेपी काउन्सिल का गठन किया जाना।	कार्यवाही प्रचलन में है।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
85	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.63 (प्रश्न क्रं.1024) दि. 19-03-2020 (श्री प्रताप ग्रेवाल) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 21-09-2020)	प्रदेश के निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में भर्ती में किये गये फर्जीवाड़े की जांच कराई जाना।	प्रकरण विवेचनाधीन है।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
मार्च-अप्रैल, 2020 सत्र में दिये गये आश्वासन
(मार्च-अप्रैल, 2020 सत्र के स्थगित बैठक दिनांक : 19-03-2020 के आश्वासन)

महिला एवं बाल विकास विभाग | दिनांक: 19-03-2020

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
86	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.91 (प्रश्न क्र.1204) दि. 19-03-2020 (श्री कमलेश जाटव) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 21-09-2020)	रीवा जिले के जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास द्वारा अपात्र हितग्राहियों को भुगतान की गई राशि की वसूली की जाना।	वसूली की कार्यवाही प्रचलन में है।		
87	अतारांकित प्रश्न सं.1 (प्रश्न क्र.18) दि. 19-03-2020 (श्री देवेन्द्र सिंह पटेल) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 21-09-2020)	प्रदेश के रायसेन जिले में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका को शासकीय सुविधाएं उपलब्ध करायी जाना।	प्रस्ताव विचाराधीन है।		
88	अतारांकित प्रश्न सं.20 (प्रश्न क्र.397) दि. 19-03-2020 (श्री निलय विनोद डागा) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 21-09-2020)	बैतूल जिले के एकीकृत बाल विकास परियोजना अधिकारी आमला द्वारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका की नियुक्तियों में की गई अनियमितता की जांच कराई जाना।	कार्यवाही प्रचलित है।		
89	अतारांकित प्रश्न सं.115 (प्रश्न क्र.1283) दि. 19-03-2020 (श्री कुणाल चौधरी) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 21-09-2020)	भोपाल, रायसेन, राजगढ़ एवं भिण्ड जिले में लालिमा योजनार्न्तगत आयरन फ्रेम बोर्ड फ्लेक्स बिना भौतिक सत्यापन के लगाये जाने पर जिलेवार संख्या, स्थान और स्पेसिफिकेशन की जांच कराई जाना।	जांच प्रक्रिया में है।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

मार्च-अप्रैल, 2020 सत्र में दिये गये आश्वासन

(मार्च-अप्रैल, 2020 सत्र के स्थगित बैठक दिनांक : 19-03-2020 के आश्वासन)

राजस्व विभाग दिनांक: 19-03-2020

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
90	तारांकित प्रश्न सं.14 (प्रश्न क्रं.637) दि. 19-03-2020 (श्री गिर्राज डण्डौतिया) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 21-09-2020)	मुरैना जिला अन्तर्गत तहसीलवार मजरों/टोलों को राजस्व ग्राम बनाया जाना।	प्रक्रियाधीन है।		
91	तारांकित प्रश्न सं.16 (प्रश्न क्रं.424) दि. 19-03-2020 (डॉ. सीतासरन शर्मा) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 21-09-2020)	प्रदेश के इटारसी एवं इन्दौर नगर में अवैध निर्माण/अतिक्रमण को हटाया जाना।	नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।		
92	तारांकित प्रश्न सं.21 (प्रश्न क्रं.1174) दि. 19-03-2020 (श्री संजय सत्येन्द्र पाठक) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 21-09-2020)	कटनी जिले के विधानसभा क्षेत्र विजयराघवगढ़ में सीमांकन एवं बंटवारे के प्रकरणों का निराकरण किया जाना।	सीमांकन एवं बंटवारा के प्रकरणों का निराकरण समय-सीमा में करने के निर्देश जारी किये गये हैं।		
93	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.27 (प्रश्न क्रं.553) दि. 19-03-2020 (श्री रामकिशोर कावरे) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 21-09-2020)	(1) बालाघाट जिले की तहसील वारासिवनी के अन्तर्गत ग्राम कोस्ते के अतिक्रमणकर्ताओं के विरूद्ध बेदखली की कार्यवाही की जाना। (2) प्रकरण में अवैध कब्जों को विशेष संरक्षण दिये जाने से सम्बन्धित दोषी अधिकारियों की जांच व कार्यवाही की जाना।	(1) बेदखली की कार्यवाही जारी है। (2) जांच वस्तुस्थिति के आधार पर यथोचित कार्यवाही की जायेगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
94	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.49 (प्रश्न क्रं.924) दि. 19-03-2020 (श्री नागेन्द्र सिंह) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 21-09-2020)	सतना जिले के नगरीय क्षेत्र अंतर्गत शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे संबंधी जानकारी उपलब्ध कर अवैध कब्जो को हटाने की कार्यवाही की जाना।	यथाशीघ्र जानकारी उपलब्ध कराई जायेगी।		
95	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.52 (प्रश्न क्रं.945) दि. 19-03-2020 (श्री जुगुल किशोर बागरी) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 21-09-2020)	सतना जिले के रैगांव वि0स0 क्षेत्र में संचालित हाईस्कूल एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की भूमि पर अतिक्रमण करने वालों पर कार्यवाही की जाना।	नियमानुसार कार्यवाही प्रचलित है।		
96	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.54 (प्रश्न क्रं.961) दि. 19-03-2020 (श्री दिलीप सिंह गुर्जर) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 21-09-2020)	जिला उज्जैन के नागदा-खाचरौद क्षेत्र में सहकारिता व भू-माफियाओं के विरूद्ध कार्यवाही की जाना।	(1) जांच प्रचलित है। (2) कार्यवाही जारी है।		
97	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.78 (प्रश्न क्रं.1113) दि. 19-03-2020 (श्री मनोज चावला) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 21-09-2020)	रतलाम जिले के आदिवासी से गैर आदिवासी को भूमि बेचने के प्रकरणों का निराकरण किया जाना।	कार्यवाही प्रचलित है।		
98	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.94 (प्रश्न क्रं.1216) दि. 19-03-2020 (श्री बिसाहूलाल सिंह) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 21-09-2020)	जिला अनूपपुर वि0स0 क्षेत्र के नगरपालिका पसान से लगे वन क्षेत्र व वार्ड क्रमांक 12 की शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने के संबंध में कार्यवाही की जाना।	शीघ्र ही बेदखल कर दिया जावेगा । बेदखली की कार्यवाही शीघ्र की जावेगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
99	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.100 (प्रश्न क्रं.1239) दि. 19-03-2020 (श्री पाँचीलाल मेड़ा) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 21-09-2020)	जिला धार में धरमपुरी के किसानों द्वारा उद्योगो के लिये शासन को दी गई भूमि के एवज में भूमि आंवटन किया जाना।	आवंटन की प्रक्रिया प्रारंभ की जावेगी।		
100	अतारांकित प्रश्न सं.8 (प्रश्न क्रं.127) दि. 19-03-2020 (श्री सुशील कुमार तिवारी) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 21-09-2020)	जिला जबलपुर के विधानसभा क्षेत्र पनागर के आवासहीनों को पट्टा दिया जाना।	भूखण्ड धारक प्रमाण पत्र दिये जावेंगे।		
101	अतारांकित प्रश्न सं.49 (प्रश्न क्रं.782) दि. 19-03-2020 (श्री भूपेन्द्र सिंह) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 21-09-2020)	जिला सागर की तहसील बीना के ग्राम सतौरिया के आस-पास नदी रेत अवैध उत्खनन के प्रकरणों की जांच कराया जाना।	शेष 02 प्रकरण न्यायालय कलेक्टर जिला सागर में प्रचलन में है।		
102	अतारांकित प्रश्न सं.50 (प्रश्न क्रं.801) दि. 19-03-2020 (श्री कुँवरजी कोठार) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 21-09-2020)	प्रदेश के कृषकों को अतिवृष्टि से हुए खरीफ फसल नुकसान का शेष मुआवजा राशि का भुगतान किया जाना।	शेष 75 प्रतिशत राशि का भुगतान कर दिया जावेगा।		
103	अतारांकित प्रश्न सं.83 (प्रश्न क्रं.1088) दि. 19-03-2020 (श्री राज्यवर्धन सिंह) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 21-09-2020)	राजगढ़ जिले के विधानसभा क्षेत्र नरसिंहगढ़ में अतिवर्षा/प्राकृतिक प्रकोप से हुई फसल नुकसान का शेष 75 प्रतिशत मुआवजा राशि किसानों को दिया जाना।	शेष राशि जारी की जावेगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
104	अतारांकित प्रश्न सं.105 (प्रश्न क्रं.1227) दि. 19-03-2020 (श्री गोपाल भार्गव) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 21-09-2020)	(1) प्रदेश में पटवारियों के रिक्त पदों की पूर्ति की जाना । (2) प्रदेश के पटवारियों की मांगों की पूर्ति की जाना ।	(1) कार्यवाही प्रक्रियाधीन है । (2) कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

मार्च-अप्रैल, 2020 सत्र में दिये गये आश्वासन

(मार्च-अप्रैल, 2020 सत्र के स्थगित बैठक दिनांक : 19-03-2020 के आश्वासन)

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

दिनांक: 19-03-2020

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
105	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.2 (प्रश्न क्रं.38) दि. 19-03-2020 (श्री रामपाल सिंह) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 21-09-2020)	रायसेन जिले के विकासखण्ड बेगमगंज एवं सिलवानी के ग्रामों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जाना।	प्राक्कलन बनाने की कार्यवाही की जा रही है।		
106	अतारांकित प्रश्न सं.19 (प्रश्न क्रं.384) दि. 19-03-2020 (इन्जी. प्रदीप लारिया) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 21-09-2020)	सागर जिले के नरयावली विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत राहतगढ़ विकासखण्ड में स्वीकृत एवं प्रस्तावित बोर खनन कार्य पूर्ण किया जाना।	शेष कार्य जून 2020 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
मार्च-अप्रैल, 2020 सत्र में दिये गये आश्वासन
(मार्च-अप्रैल, 2020 सत्र के स्थगित बैठक दिनांक : 19-03-2020 के आश्वासन)

वाणिज्यिक कर विभाग　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　दिनांक: 19-03-2020

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
107	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.80 (प्रश्न क्रं.1130) दि. 19-03-2020 (श्रीमती नीना विक्रम वर्मा) (बैठक स्थगित - पटलित दिनांक : 21-09-2020)	(1) धार जिले के राजगढ़ के पास अवैध रूप से पकड़ी गई शराब के ठेकेदारों पर कार्यवाही की जाना। (2) जिला इन्दौर की जप्तसुदा मदिरा की चिन्हित दुकानों पर कार्यवाही की जाना। (3) अवैध शराब का जिले के बाहर के ठेकेदारों का ठेका एवं लायसेंस निरस्त किया जाना।	(1) आबकारी अधिनियम के प्रावधान अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी। (2) अभी जांच विवेचनाधीन है। तथ्यों के आधार पर तद्नुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। (3) आबकारी अधिनियम के प्रावधान अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।		